संख्या–1729/सोलह–प्रा0शि0–2–2012–11(ई)11टीसी

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक:: 26 दिसम्बर,2012

विषय:– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभागाध्यक्ष के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8334/ई–स्था0छठा वेतन, दिनांक 03.08.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऐसे अध्यक्ष पदधारक जो 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें उक्त धारित पद के सापेक्ष दिनांक 01 दिसम्बर,2008 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, को कुल 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा अथवा प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के 06 वर्ष के पश्चात ही द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा, का परामर्श चाहा गया था।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन / स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर,20011 के प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–(1)(i) में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गयी है कि प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा। अतः प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रापत होने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त ही द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराया जा सकता है, चाहे उनकी कुल सेवायें 16 वर्ष पहले ही पूर्ण हो रहीं हों।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
अनु सचिव।

उप निदेशक (R)

प्रधानाचार्य (6)

निदेशक 28/12/12

1504 28/12/12

7.1.13

D:\data 1\New Data\G.O.2012.docx

श्री प्रदीप

10/1/13

संख्या-1730/सोलह-प्रा0शि0-2-2012-11(ई)11टीसी

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः: 26 दिसम्बर, 2012

विषयः- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभागाध्यक्ष के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8335/ई-स्था0छठा वेतन, दिनांक 03.08.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदेशक पदधारक, जो क्रमशः प्रवक्ता एवं अध्यक्ष के पदों पर पदोन्नत हुए हैं, उनकी अनुदेशक पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि की गणना करते हुए कुल 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराया जा सकता है अथवा नहीं? उक्त के अतिरिक्त ऐसे पदधारक, जो व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए और बाद में अध्यक्ष पद पर प्रोन्नत हुए हैं, उनकी व्याख्याता एवं अध्यक्ष पद की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा अथवा नहीं? का परामर्श चाहा गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को संबंधित पदधारक धारित पद के साधारण वेतनमान में कार्यरत थे। ऐसी स्थिति में ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/08, दिनांक 04.05.2010 के प्रस्तर-3 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संबंधित पदधारकों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2008को धारित पद पर आने की तिथि से सेवा की गणना करते हुए 10 वर्ष की नियमित निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर धारित पद के ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा देयता की तिथि, जो भी बाद में हो, से अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर अनुमन्य कराया जा सकता है।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
अनु सचिव।

D:\data 1\New Data\G.O.2012.docx

उप निदेशक (R)

निदेशक 28/12/12 1503 28/12/12

प्रधानाचार्य (K)

श्री प्रदीप

7-1-13

10/1/13